निगरानी / 2493 / 2005 / टीए / गंगानगर

गोपाल (मृतक के वारिसान) बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1)(2)श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिवक्ता ,प्रार्थी (2) श्री सत्यनारायण सोलंकी, अभिभाषक अप्रार्थी / सरकार **निर्णय दिनांकः 2–8–2018** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25–7–2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 14 एस पी डी के मु0नं0 187 / 9, 187 / 17, 187 / 25, 187 / 26,187 / 19, 187 / 27 में मुताबिक पत्रावली संख्या 12 / 96 पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के नाम से निगरानी जैर बहस 54 बीघा रकबा था जिसमें वे वरवक्त खातेदारी सीलिंग सीमा निर्धारण कर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 22–4–96 को 45 –09 बीघा भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। उसके बाद राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अमल दरामद कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगड की अदालत में उक्त खातेदारी को निरस्त करवाने के लिए अपील पेश की जिनके द्वारा प्रार्थी को बिना सुने एक तरफा तौर पर आराजी 45–09 बीघा रकबा में से 22–04 बीघा की खातेदारी समाप्त करदी । यह कि एसीसी सूरतगढ द्वारा 25 बीघा की खातेदारी नही देकर प्रार्थी के नाम से मिसल नंबर 1820 दिनांक 21–6–74 को 25 बीघा भूमि को निशुल्क पुख्ता आवंटन की गयी। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–5–01 में न तो भूमि के चक मुरब्बा व किला नम्बर का जिक्र किया ना ही सीलिंग भूमि के बाद में कोई खुलासा किया है कि किसी गॉव / चक की कौन सी भूमि 2011 से 13 तक की पूर्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 की है तथा कौनसी पोस्ट 1955 की है तथा उनके द्वारा अपने निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया कि 21–6–74 को एसीसी सूरतगड ने किस भूमि को 25 बीघा का निर्णय किसके पक्ष में किया है जिससे प्रतिवेदित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 2– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 3– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वाके चक 14 एस पी डी के मु0नं0 187/9, 187/17, 187/25, 187/26,187/19, 187/27 में मुताबिक पत्रावली संख्या 12/96 पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के नाम से निगरानी जैर बहस 54 बीघा रकबा था जिसमें वे वरवक्त खातेदारी सीलिंग सीमा निर्धारण कर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 22–4–96 को 45 –09 बीघा भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। उसके बाद राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अमल दरामद कर दिया गया। जिसके विरुद्व अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगड की अदालत में उक्त खातेदारी को निरस्त करवाने के लिए अपील पेश की जिनके द्वारा प्रार्थी को बिना सुने एक तरफा तौर पर आराजी 45–09 बीघा रकबा में से 22–04 बीघा की खातेदारी समाप्त करदी । यह कि एसीसी सूरतगढ द्वारा 25 बीघा की खातेदारी नही देकर प्रार्थी के नाम से मिसल नंबर 1820 दिनांक 21–6–74 को 25 बीघा भूमि को निशुल्क पुख्ता आवंटन की गयी। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो भूमि के चक मुरब्बा व किला नम्बर का जिक्र किया ना ही सीलिंग भूमि के बाद में कोई खुलासा अपन`निर्णय में दिया गया और न ही यह बताया कि किसी गॉव /चक की कौन सी भूमि 2011 से 13 तक की पूर्व 1955 की है तथा कौनसी पोस्ट 1955 की है तथा उनके द्वारा अपने निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया कि 21–6–74 को एसीसी सूरतगड ने किस भूमि को 25 बीघा का निर्णय किसके पक्ष में किया,जबकि उक्त रकबा मि0नं012/96 वाला था। उनका यह भी तर्क	

निगरानी/2493/2005/टीए/गंगानगर
गोपाल (मृतक के वारिसान) बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि पिटीशनर की खातेदारी को निरस्त करने का जो आदेश दिया है, वह गलत है। अपने तर्को के समर्थन में 2014 आरआरटी(2) पेज 1352 का उल्लेख किया एवं अपील को अन्दर मियाद कहते हुए 2008 आरबीजे 2008 पेज 623 का उदाहरण दिया। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। 4— इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि पत्रावली संख्या 1820/72 निर्णय दिनांक 21—6—74 में सलग्न पटवार प्रश्नोत्तरी से सिद्ध होता है कि सं0 2011 से 2013 तक केवल 25 बीघा भूमि ही अपीलांट के काश्त में थी शेष रकबा पोस्ट 55 का है। इसलिए पटवार पश्नोत्तरी को देखते हुए दिनांक 21—6—74 को तत्कालीन एसीसी द्वारा 25 बीघा भूमि की निशुल्क खातेदारी दी गई थी तथा शेष कीमतन देने के आदेश दिये गये थे। पत्रावली संख्या 12/96 में सलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अपीलांट की 23. 05 बीघा (19.03 बीघा कमाण्ड एवं 4.02 बीघा अनकमाण्ड खातेदारी भूमि होना भी साबित है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 25—7—01 जिसमें विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया वह उचित कानून सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5— उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयकी पत्रावली संख्या 1820/74 के आदेश दिनांक 29—6—74 के द्वारा 25 बीघा भूमि निशुल्क एवं 20 बीघा 4बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था इसके बाद दिनांक 23—2—95 को अपीलांट ने उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर दिनांक 22—4—96 के आदेश से उक्त सम्पूर्ण रकवा को पोस्ट 55 मान कर खातेदारी देने का आदेश वस्तुतः पूर्व में दिए गये आदेश दिनांक 29—6—74 के विपरीत है। इसमें यह भी कमी रखी गयी थी कि प्रार्थी के स्वयं के अभिधारण की भूमि 46 बीघा 10बिस्वा के 1/2 भाग यानि 23 बीघा 5 बिस्वा को आवंटित भूमि में जोडते हुए सीलिंग सीमा का भी	

निगरानी/2493/2005/टीए/गंगानगर

गोपाल (मृतक के वारिसान) बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परीक्षण नही किया गया एवं पारिवार के सदस्यों की संख्या पर भी परीक्षण नही किया गया है। अतः तहसीलदार सूरतगड के आदेश दिनांक 22–4–96 के विरुद्ध की गयी अपील के निर्णय दिनांक 25–7–2001 में उठाये गये आक्षेप यद्यपि उपयुक्त है परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही मिला क्योकि उस पर अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के न्यायालय में प्रकरण स्थानान्तरित होने की सूचना नही हो पायी थी इसलिए इस प्रकरण में अपीलांट प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचति होने से अपील ऑशिक स्वीकार की जाती है ।अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली संख्या 1820/13–12–72 निर्णय दिनांक 21–6–74 को प्री–55 की 25 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखते हुए शेष भूमि बावत (जो कि पोस्ट 25 बीघा की है) जो कीमतन आवंटित की थी पर पत्रावली संख्या12/96 पर अपीलांट की सुनवाई की जाकर उसके अभिधारण की भूमि साडे 23 बीघा को सीलिंग सीमा बावत परिवार के सदस्यों आदि की जॉच की जाकर नये सिरे से प्रार्थी/अपीलांट से साक्ष्य सबूत लेकर पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों में आदेश पारित किये गये है का पूर्ण रुप से विश्लेषण कर पुनः गुणावणुपर पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्र हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

निगरानी / 2493 / 2005 / टीए / गंगानगर

गोपाल (मृतक के वारिसान) बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए